रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012020-215381
CG-DL-E-13012020-215381

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941
No. 20] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 22(अ).—चूंकि वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारुप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 17 सितंबर, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 680(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए , जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राजपत्र की प्रतियां दिनांक 21 सितंबर, 2019 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थीं;

और चूंकि विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के बाबत जनता से प्राप्त आक्षेप या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची II में,--

(क) अनुभाग ड में, पैरा 1 में, खंड (ङ) में,-

"जिसमें से 150 घंटों से अन्यून का उड़ान काल पूर्ववर्ती बारह मास में होगा" शब्दों का विलोप किया जाए;

(क) उप-खंड (i) में,-

(I) अंक "500" के स्थान पर अंक "250" का प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(II) अंक "200" के स्थान पर अंक "100" का प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-खंड (ii) में अंक "1000" के लिए अंक "500" प्रतिस्थापित होगा;

(ग) उप-खंड (iv) में अंक "100" के लिए अंक "75" प्रतिस्थापित होगा;

(घ) उप-खंड (v) में अंक "10" के लिए "20" प्रतिस्थापित होगा;

(ख) अनुभाग (ढ) में पैरा 1 में, खंड (ड) में,-

(क) शब्दों "जिसमें से 100 घंटों से अन्यून का उड़ान काल पूर्वगामी बारह मास में होगा" का विलोप किया जाए;

(ख) धारा (ङ), के उप-खंड (v) में अंक "10" के लिए अंक "15" प्रतिस्थापित होगा।

[फा. सं. एवी-11012/4/2018-ए]

अंशुमाली रस्तोगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना संख्या वी-26 दिनांक 23 मार्च, 1937 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 579(अ) दिनांक 9 अगस्त, 2019 द्वारा किया गया जिसे भारत के राजपत्र, अधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 20 अगस्त, 2019 को प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2020

G.S.R. 22(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, number G.S.R. 680(E), dated the 17th September, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 21st September, 2019;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the draft rules within the period specified have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Aircraft (First Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in Schedule II, —

(A) in Section M, in paragraph 1, in clause (e), —

(a) the words "of which not less than one hundred fifty hours flight time shall be in the preceding twelve months" shall be omitted;

(b) in sub-clause (i), —

(I) for the words "five hundred", the words "two hundred and fifty" shall be substituted;

(II) for the words "two hundred", the words "one hundred" shall be substituted;

(c) in sub-clause (ii), for the words "one thousand", the words "five hundred" shall be substituted;

(d) in sub-clause (iv), for the words "one hundred", the words "seventy five" shall be substituted;

(e) in sub-clause (v), for the word "ten", the word "twenty" shall be substituted;

(B) in Section N, in paragraph 1, in clause (e), —

(a) the words "of which not less than one hundred hours shall be in the preceding twelve months" shall be omitted;

(b) in sub-clause (v), for the word "ten", the word "fifteen" shall be substituted.

[F. No. AV-11012/4/2018-A]

ANGSHUMALI RASTOGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 579(E), dated the 9th August, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 20th August, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.